

कार्यालय आदेश सं...148/17.

श्री सर्वज्ञ कुमार श्रीवास्तव पुत्र सत्यप्रकाश श्रीवास्तव जो रेलवे भर्ती बोर्ड गोरखपुर से प्राप्त सीसेई (समाडि) वेतनमान 9300-34800+4600/-ग्रेड पे कोटि सं 09 के पद पर चयनित/नामिका बद्ध किये गये थे, कि नियुक्ति के पूर्व नियमानुसार एक वर्ष का दिनांक 16.11.2016 से पर्यवेक्षक प्रशिक्षण केन्द्र गोरखपुर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे, को श्री श्रीवास्तव के आवेदन दिनांक 18.08.2017 के परिप्रेक्ष्य में Indemnitybond में उल्लेखित शर्तों के मद 04 के उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की गई प्रशिक्षण वृत्तिका एवं प्रशिक्षण के सम्पूर्ण खर्च का 12 1/2% धनराशि रेलवे राजस्व में जमा करने के उपरांत अन्यत्र नौकरी करने हेतु मुक्त किया जाता है।

भविष्य में इनके पक्ष में कोई राजस्व की कटौती उच्च स्तर से निर्धारित की जाती है, तो इन्हें उक्त धनराशि रेलवे राजस्व में बिना किसी आपत्ति के तत्काल जमा की जाय।

उपरोक्त पर सक्षम अधिकारी का आदेश प्राप्त है।

(सहायक कार्मिक अधिकारी)
कृते मंडल रेल प्रबंधक (का)
वाराणसी

दिनांक 25.08.2017

28

रां कां/या/227/समाडि/जेई/सीसेई/पदस्थापना/13
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित :-

1. वमंयाई(समाडि) वाराणसी।
2. वमंविप्र, वाराणसी।
3. प्रधानाचार्य, पर्यवेक्षक प्रशिक्षण केन्द्र गोरखपुर।
4. मुख्य कार्याधी यांत्रिक बिल अनुभाग।
5. मुकार्याधी एमपीपी सेल।
6. संबंधित अभ्यर्थी।
7. कार्यालय आदेश पुस्तिका।
8. मंडल मंत्री नरमू, अजा/अजजा एवं ओबीसी एसोसि./वाराणसी।
9. अन्य प्रति।

(सहायक कार्मिक अधिकारी)
कृते मंडल रेल प्रबंधक (का)
वाराणसी